5.3.25 पत्रावली पेश हुई। बहस उभय-पक्ष अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि धारा 251क रा. का. अ. के तहत जिस आराजी के लिये रास्ता चाहा गया है, आवेदक हरजीत सिंह उसका अभिलिखित काश्तकार नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना-पत्र 251क अस्वीकार किया जावें

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा. का. अ. में अंकन किया है कि चक 18SSW के खाता सं. 148/112 में 3.036 हे. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है [illegible] जमाबंदी अनुसार उक्त [illegible] कौर व शारदा देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवेदक अभिलिखित काश्तकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:05:16 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 251क के प्रावधानानुसार एक खातेदार को अपनी कृषि जोत तक पहुंचने के लिये अगर कोई रास्ता नहीं है, अर्थात् रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है व कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो वह आवेदन कर सकता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभिलिखित काश्तकार नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र 251क रा. का. अ. अस्वीकार किया जाता है। वर्तमान अभिलिखित काश्तकार को अगर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तो वह [illegible] 251क रा. का. अ. के अन्तर्गत आवेदन [illegible] के लिये स्वतन्त्र है। पत्रावली [illegible] अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:06:16 IST
Reason: SelfAttested